

दो कारों की भीषण भिड़ंत में पांच वर्षीय बालक सहित पांच श्रद्धालु घायल

दोनों कारों में सवार लोग सालासर बालाजी के दर्शन कर हरियाणा की ओर जा रहे थे

सादुलपुर, (निसं)। सादुलपुर-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रविवार को दो कारों की हुई भिड़ंत में दोनों कार में सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए लोगों को एंबुलेंस की मदद से श्रीनाथ जी अस्पताल राजगढ़ में पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार घायलों में एक पांच वर्षीय बालक भी शामिल है, जबकि दूसरी कार में सवार पति-पत्नी और पुत्र घायल हो गए। दोनों कारों में सवार लोग सालासर बालाजी के दर्शन कर हरियाणा की ओर जा रहे थे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों कारों के परखचे उड़ गए एवं सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही एएसआई रामनिवास मय पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे तथा दोनों कारों में घायल हुए लोगों को एंबुलेंस की मदद से श्रीनाथ जी अस्पताल राजगढ़ में पहुंचाया तथा क्षतिग्रस्त दोनों कारों को हटवाकर सड़क मार्ग खुलवाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक कार में



घायल बालक सहित श्रद्धालुओं का चिकित्सकों ने उपचार किया।

सवार संजीव कुमार अरोड़ा उम्र 57 वर्ष तथा अरोड़ा का पांच वर्षीय पुत्र हितेश कुमार निवासी टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा और विजय कुमार पुत्र जय निंदा अरोड़ा निवासी बक्शी

गली टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा सवार थे, जो सालासर बालाजी के दर्शन कर टोहाना फतेहाबाद हरियाणा और विजय कुमार पुत्र जय निंदा अरोड़ा निवासी बक्शी

पास पांच वर्षीय बालक को लघुशंका होने पर कार की गति को धीमाकर कार का चालक कार को रोकने का प्रयास कर रहा था।

इसी दौरान एक हॉंडासीटी कार

■ दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों कारों के परखचे उड़ गए एवं सड़क पर जाम लग गया

तेज गति से आई तथा खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण पहली कार में सवार पांच वर्षीय बालक हितेश तथा 58 वर्षीय विजय कुमार को गंभीर चोट लगने से घायल हो गए, जबकि दूसरी हॉंडा सीटी कार में सवार जगदीप सिंह जाट, मोनिका पत्नी जगदीप सिंह जाट व हरदीप पुत्र जगदीप सिंह जाट कार चालक निवासी चंडीगढ़ जो रिश्ते में पति-पत्नी और पुत्र थे, तीनों घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को श्रीनाथ जी अस्पताल राजगढ़ में भर्ती करवाया, जहां सभी उपचाराधीन हैं। देर शा तक तक इस संबंध में पुलिस थाना राजगढ़ में मामला दर्ज नहीं हुआ है।

दो साल से फरार अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

बांसवाड़ा, (निसं)। अपहरण के इनामी एवं वांछित टॉपटेन के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

थानाधिकारी प्रकाशचन्द्र ने बताया कि मामले में 3 अप्रेल 2023 को कलु पुत्र रतु पारगी निवासी थाना गढ़साल ने रिपोर्ट दी कि उसकी मंगेतर सीमा चार दिन पूर्व घर पर फसल काटने के लिये आयी थी और सीमा के भाई चौकु की मोटरसाइकिल उसके पास थी। वह अपनी मंगेतर को लेकर कुवालिया अपने फुफा के घर उसकी बहन की शादी में गये थे।

बारात सिंघाड़ों का पारड़ा महुड़ीयापाड़ा से आयी थी। पादी में प्राथी का सगा भाई राजू एवं जीजा अशोक रौत भी आये थे। बाद में वह सीमा को लेकर वापस कुवालिया से निकला तो रास्ते में एक जीप खड़ी थी। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल बोलेरो के पास पहुंची एक व्यक्ति उतरा और हाथ देकर रोका। जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी तो अंदर से तीन व्यक्ति उतरकर आये और सीमा को पकड़कर ले जाने लगे। जिस पर विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की एवं

घर के बाहर खड़े वाहनों के शीशे तोड़ने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

मामले का खुलासा करने के लिये करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले

कोटा, (निसं)। शहर के आरकेपुरम एवं महावीर नगर थाना इलाकों में घर के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़ने के मामले में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि थाना आरकेपुरम व महावीर नगर थाना इलाके में स्थित बोम्बे योजना, विवेकानन्द नगर, स्वामी विवेकानन्द नगर, आरकेपुरम एवं

महावीर नगर विस्तार योजना में घर के बाहर खड़े वाहनों के शीशे तोड़ने की वारदात को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में आरकेपुरम थानाधिकारी महेंद्र मारू व महावीर नगर थानाधिकारी रमेश कविया के नेतृत्व में दोनों थानों की संयुक्त दस टीमों का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने

मामले का खुलासा करने के लिये करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान की एवं कार्रवाई करते हुए देवनायण योजना रानपुर निवासी धर्मा गुर्जर (19) एवं बंधा धर्मपुरा निवासी योगेन्द्र रेगर (19) को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस टीम ने दो नाबालिग बालकों को हिराते किया था।

रेफर मरीज को ले जा रही 108 एंबुलेंस का रास्ते में डीजल खत्म

श्रीरंगगानगर, (निसं)। श्रीकरणपुर से रेफर मरीज लेकर जिला अस्पताल आ रही एक एंबुलेंस 108 का डीजल बीच रास्ते ही खत्म हो गया। आनन-फानन में चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए दूसरी 108 एंबुलेंस को मौके पर बुला मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद वही एंबुलेंस जिला मुख्यालय से डीजल लेकर पहुंची। इसके बाद बीच रास्ते खड़ी एंबुलेंस को डीजल डालकर वापस स्टार्ट किया जा सका। यह घटनाक्रम शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक 12 जैड भारत माला के फ्लाई ओवर चौराहे के निकट हुआ।

मिली जानकारी के अनुसार जगतेवाला निवासी 54 वर्षीय गनदजीत कौर को हाई डायबिटिक होने के कारण करणपुर सीएचसी में भर्ती किया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए शाम को रेफर कर दिया गया। एंबुलेंस

■ आनन-फानन में चालक ने दूसरी 108 एंबुलेंस को बुलाकर मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया

108 मरीज को लेकर जिला अस्पताल जा रही थी कि जैड माइनर के ऊपर बने भारत माला रोड के फ्लाईओवर पर पदमपुर बाइपास की ओर मुड़ते ही गाड़ी का डीजल खत्म हो गया। इससे गाड़ी झटके खाकर बंद हो गई। करणपुर से मरीज लेकर आ रही एंबुलेंस के चालक ने डीजल खत्म होने की जानकारी अपने जिला प्रभारी गौरव गुंजर को दी। इस पर तुरंत ही कोतावली से अटैच 108 एंबुलेंस को इस बीच रास्ते खड़ी एंबुलेंस के पास भेजा गया। मरीज को तुरंत इस एंबुलेंस में शिफ्ट करके जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मरीज को भर्ती करवाने

दुकानों के शटर तोड़ चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

कोटा, (निसं)। महावीर नगर पुलिस टीम ने दुकानों के शटर तोड़कर चोरी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया तथा विधि से संघर्षरत तीन बालकों को निरुद्ध किया है।

महावीर नगर थानाधिकारी रमेश कविया ने बताया कि 27 मई व 29 मई की रात्रि को अज्ञात बदमाशों द्वारा महावीर नगर थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर दुकानों के शटर तोड़कर नकदी, मोबाइल व अन्य सामान चोरी होने का मामला दर्ज किया

■ एक आरोपी को गिरफ्तार कर विधि से संघर्षरत तीन बालकों को निरुद्ध किया

गया था। थानाधिकारी ने बताया कि शहर एसपी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि टीम ने तकनीकी सहायता व मौके पर मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए हरिओम नगर कच्ची बस्ती

निवासी राहुल को गिरफ्तार किया साथ ही विधि से संघर्षरत तीन बालको को निरुद्ध किया। थानाधिकारी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दिन के समय दुकानों पर ग्राहक बनकर रैकी करते थे और रात्रि के समय सुनसान पाकर दुकान के शटर को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पूछताछ में अहिंसा सर्किल पर दो दुकानों में चोरी, सम्राट चौराहे पर दो मोबाइल की दुकानों में चोरी एवं डिस्सेंसी चौहरे पर दो दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने का खुलासा हुआ है। पकड़े गये आरोपी से पूछताछ जारी है।

अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, चालक गिरफ्तार

मालपुरा, (निसं)। डिग्गी थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुये रविवार को दौरान गश्त जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाइवे पर मैन्दवास्या पेट्रोल पम्प के पास बिना परमिट रक्बा

■ बिना नम्बरी व फिल्म चढ़े वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की

के अवैध बजरी परिवहन करते पाये जाने पर बिना नम्बरी ट्रैक्टर-ट्रॉली मय बजरी जप्त कर चालक को गिरफ्तार कर चालक के विरुद्ध एमएमडीआर एक्ट मे मामला दर्ज किया गया। वहीं मालपुरा वृत्त क्षेत्र में काली फिल्म चढ़ाकर सरपट दौड़ रहे चौपहिया वाहनों के साथ-साथ बिना नम्बरी वाहनों पर वृत्त क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस उपाधिक्षक आशीष प्रजापत के सुपरविजन में मालपुरा वृत्त क्षेत्र के पंचेश थानाधिकारी मुकेश कुमार जाट, डिग्गी थानाधिकारी सत्यनारायण



मालपुरा वृत्त क्षेत्र में काली फिल्म चढ़े चौपहिया वाहनों के साथ-साथ बिना नम्बरी वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की।

चौधरी, टोडारयसिंह थानाधिकारी हरिराम जाट, मालपुरा थाना पुलिस टीम ने काली फिल्म चढ़े व बिना नम्बरी दस वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की। साथ ही भविष्य में मालपुरा वृत्त क्षेत्र में इस

प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। डीवाईएसपी आशीष प्रजापत के सुपरविजन में शनिवार की रात की गई कार्रवाई से वृत्त क्षेत्र की थाना पुलिस मुस्ती से कार्य कर मामला दर्ज किया।

मृत मछलियों को नेहरु तलाई से बाहर निकालने का काम शुरू

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही से नेहरु तलाई में हजारों मछलियों की मौत के बाद मामले में पीएमए की शिकायत के बाद न्यास ने मृत मछलियों की तलाई से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है।

पीपुल्स फॉर एनिमल के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने गत दिनों आसपास की कॉलोनियों व बस्तियों का गंदा पानी तलाई में आने से मछलियों का दम घुटने से मौत का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर शिकायत पत्र सौंपा था। हजारों की संख्या में मछलियां मर जाने से दुर्गंध ने आसपास रहने वालों का जीना मुहाल हो रहा था। नेहरु पार्क में घूमने आ रहे लोग भी सड़ांध से



मृत मछलियों को निकाल कर ट्रैक्टर में भरकर दूर दफनाने का कार्य किया जा रहा है।

परेशान थे। मामला मीडिया के जरिए उजागर होने के बाद न्यास ने मछलियां निकालने के लिए ठेकेदार के कार्मिकों को लगाया। मृत मछलियों को निकाल कर ट्रैक्टर में भरकर उनको दूर दफनाने का कार्य किया जा रहा है।

पहली बरसात में ही नगर पालिका प्रशासन की पोल खुली, लोग परेशान

छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाते समय गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है



राजलदेसर, (निसं)। कस्बे के वार्ड नं. चार व पांच में बरसात के पानी की निकासी नहीं होने के कारण वार्ड के लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ विरोध जताया। वार्ड के प्रमुख लालचंद कड़वासर, दीनदयाल स्वामी, प्रेम प्रजापत, नथराम कड़वासर, हेमाराम, कुलदीप मारू, मनोज माली, रामलाल जाट, महावीर प्रजापत आदि वार्ड के लोगों ने बताया कि कभी जनेरेटर खराब हो जाता है, कभी मोटर खराब हो जाती है, नगर पालिका में जो काम होने चाहिए वह हो नहीं रहे हैं। फालतू पैसा नगर पालिका में बर्बाद किया जा रहा है। अभी तो बरसात का पूरा सीजन बाकी है लेकिन बारिश से पूर्व ही नगर पालिका की पोल आसपाद प्रबंधन को लेकर खुल रही है। मुराडई बास में बार-बार मोटर खराब होना, पालेड लाइन लीकेज होना, जनेरेटर में तेल नहीं होना एवं पंप हाउस की समय पर सफाई नहीं होना आदि कारण से आए दिन बारिश से पूर्व ही कई बार गंदा पानी चारों तरफ बिखर जाता है, जिससे यहां से दो रास्ते लगते हैं जिसमें हजारों राहगीरों का आवागमन रहता है। साथ ही यहां पर विद्यालय भी संचालित हैं, छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाते समय गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है जिससे छात्र-छात्राओं

■ नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा वार्ड के लोगों को भुगताना पड़ रहा है

■ तीन दिन से बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है

को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वार्ड के प्रमुख दीनदयाल स्वामी ने बताया लगातार नगर पालिका को अवगत कराते आ रहे हैं लेकिन नगर पालिका द्वारा किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके लिए पूर्व में भी पार्षद भी नगर पालिका को अनेक बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस और किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही आगे मानसून आने वाला है अगर यही हालात रहे तो लोगों

झूठा हलफनामा पेश करने वाले की याचिका खारिज

फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज और झूठा हलफनामा पेश करने वाले की याचिका खारिज की

जोधपुर, (कासं)। हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज और झूठा हलफनामा पेश करने वाले याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। फर्जी दस्तावेज लगाने पर याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। साथ ही फार्मसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अतिरिक्त राजकीय वकील (एजीसी) मुकेश दवे ने पेरवी की।

दवे ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 22 मई को आदेश दिए थे। दवे ने बताया कि जोधपुर की मिल्कमैन कॉलोनी निवासी केदार रूप परिहार ने 25 अप्रैल 2023 को जारी विज्ञापन के आधार पर ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता का दावा था कि उसके 67.43 प्रतिशत अंक थे, जो कट ऑफ से अधिक थे। इसके बाद भी उसका नाम अंतिम चयन सूची में नहीं आया। जवाब में विभाग ने बताया कि कोविड-19 की अवधि में

■ फर्जी दस्तावेज लगाने पर याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए

संरकारी अस्पताल में कार्य अनुभव के लिए बोनस अंक नहीं दिए गए थे, क्योंकि उसी अवधि में याचिकाकर्ता निजी मेडिकल शॉप पर भी फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत था, जो नियमों के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि याचिकाकर्ता ने बोनस अंक पाने के लिए न केवल झूठा हलफनामा दिया, बल्कि दस्तावेज सत्यापन के समय फर्जी डॉक्यूमेंट भी पेश किए। याचिकाकर्ता ने अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र पर झूग लाइसेंस की समाप्ति तिथि 30 मार्च 2018 दर्शाई, जबकि लाइसेंस 24 जनवरी 2023 तक सक्रिय था। कोर्ट में प्रस्तुत असली

प्रमाण पत्र पर 30 मार्च 2018 की कोई प्रविष्टि नहीं थी, जिससे स्पष्ट हुआ कि दस्तावेज में सील और हस्ताक्षर फर्जी थे। हलफनामे में भी याचिकाकर्ता ने गलत जानकारी दी कि उसने अनुभव अवधि में किसी निजी मेडिकल शॉप पर कार्य नहीं किया, जबकि रिकॉर्ड में विपरीत तथ्य सामने आए। सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा बोराणा ने कहा कि यह मामला न केवल सरकारी विभाग के साथ, बल्कि कोर्ट के साथ भी फर्जीवाड़े का है। याचिकाकर्ता ने अनुचित लाभ के लिए न केवल फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए, बल्कि कोर्ट में भी झूठे तथ्य पेश किए। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे एक माह के भीतर जमा कराने के आदेश दिए गए। साथ ही, कोर्ट ने फार्मसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 की धारा 14 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मामले में संबंधित प्राधिकरण को 8 सप्ताह में कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया है।